

राजस्थान-सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिडावा  
 क्रमांक:- कोर्ट/प्रार्थना पत्र/34/2021 वायर दिनांक 20/07/2021  
 उनवान:- ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सुनेल  
 धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 20/07/2021

प्रार्थी ताराचन्द पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि० उन्हैल तहसील सुनेल जिला झालावाड के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशसा के आधार पर के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उन्हैल पटवार मण्डल उन्हैल तहसील सुनेल जिला झालावाड का जमाबन्दी सम्बत 2074-77 मे खाता संख्या 15, 172, 174 व 393 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम उन्हैल पटवार मण्डल उन्हैल तहसील सुनेल	15, 172, 174 व 393	खाता संख्या 15 व 393 मे दर्ज गोवर्धन पुत्र रामप्रसाद एवं खाता संख्या 172 व 174 मे दर्ज गोवर्धन पुत्र रामप्रसाद	ताराचन्द पुत्र रामप्रसाद



(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
 जिला झालावाड

पिडावा जिला अदालत (राज.)  
 दिनांक 20/7/2021

क्रमांक:- राजस्व/2021/628-29

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी ताराचन्द पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि० उन्हैल तहसील सुनेल को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
 जिला झालावाड

पिडावा जिला झालावाड (राज.)

